Ref. No.: ..... **Date:** .....

To,

MOU

ओम श्री राधाकृष्ण बिज़नेस डेवलपर्स

विरुद्ध

प्रॉफिट पार्टनर/ स्लीपिंग पार्टनर/ श्री/ श्रीमती

1, 2, 3 .....

.....

तथा

तथा अन्य सभी

द्वितीय पक्ष का विवरण

आधार कार्ड संख्या:- .....

पैन कार्ड संख्या:- .....

बैंक विवरण:- .....

.....

डाक पता:- .....

.....

.....

व्यक्तिगत फोन नंबर:- .....

वैकल्पिक फोन नंबर:- .....

ईमेल आईडी:- .....

नॉमिनी:- .....

व्यक्तिगत फोन नंबर:- .....

वैकल्पिक फोन नंबर:- .....

ईमेल आईडी:- .....

प्रथम पक्ष -- ओम श्री राधाकृष्ण बिज़नेस डेवलपर्स, जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। जिसका पता -- 78/148, तिलक रोड, साईं मंदिर के पास, देहरादून -- 248001 है तथा गुजरात में अहमदाबाद स्थित उनका ब्रांच ऑफिस FF-5, सेंचुरी बाज़ार कॉम्प्लेक्स, सी.एन. सर्कल, सेंट्रो मॉल के पास, अंबावाडी, अहमदाबाद -- 380006, गुजरात में है। पटेल नरेन्द्रकुमार भूलाभाई इसके डायरेक्टर हैं और आगे उनका उल्लेख चीफ पार्टनर के रूप में किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष -- प्रॉफिट पार्टनर/ स्लीपिंग पार्टनर/ श्री/ श्रीमती

1, 2, 3, ...

.....

पता:- .....

.....

.....

प्रथम पक्ष के पास **बॉम्बे टू बद्रीनाथ** नाम से एक प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है। यह गौ सम्मान ट्रस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट में 8 राज्यों से कुल 12 लाख गायों का सम्मान सहित सेवा करने का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना है। और इसके लिए यह ओम श्री राधाकृष्ण बिज़नेस डेवलपर्स को सौंपा गया है। इसके कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर नरेन्द्रभाई हैं, और वे ही इसका संचालन कर रहे हैं।

द्वितीय पक्ष इस बॉम्बे -- टू -- बद्रीनाथ प्रोजेक्ट में अपना धन निवेश कर रहा है। उनके बीच निम्नलिखित बिंदुओं पर आपसी सहमति हुई है, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है, और भविष्य में भी रहेगी।

1. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रॉफिट पार्टनर/ स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका स्वीकार्य है। और वे केवल लाभ में ही भागीदार हैं। **हानि से उनका कोई लेना-देना नहीं है.**
2. कुल आने वाले लाभ का पहला **18%** वार्षिक लाभ द्वितीय पक्ष को त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप में प्राप्त होगा, जो निवेश की तारीख से **दस दिनों के भीतर अग्रिम रूप में** सात (**7**) वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। और सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद निवेश की गई मूल राशि पूरी तरह वापस प्राप्त होगी।
3. सुरक्षा के रूप में प्रथम पक्ष द्वारा निवेशित राशि का पोस्ट डेटेड चेक दिया गया है, जो द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गया है। और सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद वे अपने बैंक खाते में जमा करके राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे।

4A. प्रथम पक्ष द्वारा तीन महीने का अग्रिम लाभ द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए बैंक खाते में जमा कराया जाएगा, और वह भी प्रत्येक तिमाही के पहले दस दिनों में ही। और यदि ऐसा करने में प्रथम पक्ष से कोई चूक होती है, तो ग्यारहवें दिन पूरी राशि वापस देनी होगी, जिसे प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया है। द्वितीय पक्ष 7 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट में बने रहने की गारंटी देता है। **इससे पहले वे अपना धन वापस नहीं मांग सकेंगे।**

अथवा

4B. द्वितीय पक्ष अपना लाभ / ब्याज 7 वर्षों के अंत में लेने के लिए सहमत है, इसलिए वे त्रैमासिक लाभ नहीं लेंगे। इसके बदले, प्रत्येक रु. 1,00,000/- (एक लाख) के निवेश पर रु. 50,000/- (पचास हज़ार) अतिरिक्त स्वीकार करेंगे, अर्थात परिपक्वता पर प्रत्येक रु. 1,00,000/- के बदले कुल रु. 2,76,000/- (दो लाख छिहत्तर हज़ार) प्राप्त करेंगे।

5. प्रथम पक्ष नियमित अग्रिम लाभ देने की गारंटी देता है, तथा **सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संपूर्ण राशि वापस देने की भी गारंटी देता है.**

6. द्वितीय पक्ष केवल सात वर्ष की अवधि तक ही लाभ में स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका में रहेगा। सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद वह स्वयं भागीदारी से अलग हो जाएगा। **अपनी मूल राशि वापस मिलने के बाद द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा.**

7. प्रथम पक्ष के सभी प्रकार के प्रशासनिक निर्णय द्वितीय पक्ष को स्वीकार्य हैं और **द्वितीय पक्ष उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा.**

8. नए पार्टनर बनाने, पुराने को सेवानिवृत्त करने, या भागीदारी से अलग करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास है। भागीदार को बीच में ही उसके द्वारा निवेशित राशि वापस देकर, **उन्हें बाहर निकालने का विशेष अधिकार भी प्रथम पक्ष के पास है.**

9. **लाभ का पहला 18% स्लीपिंग पार्टनर/ प्रॉफिट पार्टनर को प्राप्त होने के बाद, जो भी शेष लाभ रहे, उस पर तथा कंपनी की समस्त अचल और चल संपत्तियों पर केवल प्रथम पक्ष का ही अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और उसे ऐसा कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। और इस संबंध में वह किसी भी प्रकार की अदालती कार्यवाही नहीं कर सकेगा।**

10. अनिवार्य परिस्थितियों जैसे युद्ध, कोविड जैसी बीमारी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाऐं, या बैंक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा एक महीने से अधिक समय के लिए घोषित कर्फ्यू या कार्यबंदी की स्थिति में, उतने समय के लिए लाभ का हिस्सा नहीं मिलेगा और कार्य पुनः शुरू होने के बाद लाभ मिलेगा। और उतनी अवधि जोड़कर गणना करने के लिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं।

11. द्वितीय पक्ष द्वारा आज, तारीख ....., दिन ..... को चेक संख्या/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./जी पे/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा रुपये ..... अंकों में रुपये .....) प्राप्त हुए हैं / होने वाले हैं।

12. सुरक्षा के रूप में प्रथम पक्ष द्वारा सुरक्षा चेक संख्या ..... प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष किसी भी परिस्थिति में नकद राशि स्वीकार नहीं करता है।

उपरोक्त शर्तें दोनों पक्षों को स्वीकार्य और मान्य हैं तथा उनके सभी उत्तराधिकारियों और नॉमिनी को भी मान्य रहेंगी।

प्रथम पक्ष का नाम:-

.....

हस्ताक्षर:- .....

द्वितीय पक्ष का नाम:-

.....

हस्ताक्षर:- .....

तारीख:- .....